

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून:दिनांक: 20 अप्रैल, 2020

विषय- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-296/XVIII-B-1/2020-15(6)/2020 दिनांक 15 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा तालाबन्दी की अवधि (दिनांक 03 मई, 2020 तक) के लिये कोरोना वायरस के संक्रमण के सन्दर्भ में भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत करवाना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-40-3/2020- (A) दिनांक 16 अप्रैल, 2020 के द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देश के बन्ध- 6A (viii), 6C (iii), 7 (v), (vi) तथा 16 (i) के अन्तर्गत संलग्नानुसार परिवर्तन किये गये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय,


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित पत्रावली।


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव